झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1057 वर्ष 2017

हरीश कुमार सिन्हा, पे0 तरणी प्रसाद सिन्हा, निवासी–सूर्य बिहार कॉलोनी,
डाकघर–धनबाद, थाना–धनबाद, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य सचिव, शहरी विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–राँची में है।
2. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसकास कार्यालय लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद में है।
3. खाता अधिकारी, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर और थाना–धनबाद, जिला–धनबाद में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री महावीर प्र0 सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता–एम0ए0डी0ए0 के लिएः– श्री भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्ता

02 / 28.03.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता, जो प्रत्यर्थी के कार्यालय में खाद्य निरीक्षक के पद पर काम कर रहा था, दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा

और अन्य लाभों का ब्याज के साथ अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि उसने एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन अनुलग्नक–2 के द्वारा किया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची के अभ्यावेदन के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति कते बाद बकाये और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नया अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार उस पर विचार करेंगे और याची के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद के 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेंगे, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और सेवानिवृत्ति के बाद बकाया और अन्व्य सेवा लाभों के स्वीकार्य बकाया का कानूनी रूप से हकदार हैं, तो

प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ भी इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)